रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक / कुस / 2010 / 584 जबलपुर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2010

<u>अधिसूचना</u>

सर्व संबंधितों को सूचनार्थ एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के परिक्षेत्र में ऐसे अनेक शिक्षा संस्थायें / कालेज चलाये जा रहे हैं जिनके लिये म.प्र. वि.वि. अधिनियम, 1973 की धारा 7(2) एवं 26 के अनुसार वि.वि. से संबद्धता प्राप्त नहीं है तथा शासन द्वारा ऐसे महाविद्यालयों / शिक्षण केन्द्रों को चलाये जाने के लिये कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी नहीं की गई है। अतएव ऐसी स्थिति में वि.वि. तथा शासन इन संस्थाओं का संचालन पूर्णतः अवैध मानता है तथा ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इन संस्थाओं की विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है तथा भविष्य में अन्य संस्थाओं को भी अवैध घोषित करने पर उनके नाम भी इस सूची में जोड़ दिये जायेंगे। ऐसे अवैध शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही होने के साथ ही इन संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्र / छात्राओं के समक्ष उनके पाठ्यक्रम से संबंधित अनेक समस्याएं तथा उनकी वैधता का प्रश्न उठ सकता है। अतः ऐसे छात्र / छात्राओं तथा उनके अभिभावकों के लिए शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा हेल्प लाइन स्थापित की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	दूरभाष 0761–2600695 [illegible]
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	[illegible] दूरभाष - 0761-2600563 Extn. 2061
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर–सागर संभाग, जबलपुर	दूरभाष 0761–2625573
4. विश्वविद्यालय की ई–मेल आईडी	rdvvcc1@rediffmail.com
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट	www.rdunijbpin.org

उपर्युक्त हेल्प लाइन पर छात्र/छात्राओं की समस्या एवं शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय तथा शासन उस पर नीतिगत निर्णय लेगी तथा आगामी कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ.क्रमांक/कुस/2010/5843* जबलपुर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2010

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर–सागर संभाग, जबलपुर
4. संपादक महोदय, ... लोकप्रिय समाचार पत्र, जबलपुर
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, रा.दु.वि.वि., जबलपुर
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर
7. कुलपति जी के सचिव, रा.दु.वि.वि., जबलपुर
8. विश्वविद्यालय सूचना पटल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर
9. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, रा.दु.वि.वि., जबलपुर (वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं अनिवार्य रूप से कार्यवाही हेतु प्रस्तुत)

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर